न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 848/2022

अनवान : –

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. मुकेश कुमार पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. दशरथ पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
9. शादरा पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ़ तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादीगण**
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 10/12/23

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 41/41 के खसरा न0 315/107 की 4.5900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू [illegible] से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा [illegible] वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0 2 से 10 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 10 वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 10 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तवा कहा की वादग्रस्त भूमि में वादीगण हक व हिस्सा तस्लीम कर लेवे एवं वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे पर प्रतिवादीगण स01 कुछ दिन तक तो आजकल–आजकल करते रहे बिल आखिर बमुकाम ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर कतई ही इन्कार हो गया। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 11 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही है।

साक्ष्य वादी में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 41/41 के खसरा न0 315/107 की 4.5900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर दिया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश कर अर्ज किया है कि यदि वाद वादीगण मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 41/41 के खसरा न0 315/107 की 4.5900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 भूमि में वादी स0 1 नरेन्द्र कुमार, वादी स0 2 रामनिवास बराबर हिस्सा व शेष 1/2 भूमि में वादी स0 3 मुकेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 848/2022

अनवान : –

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. मुकेश कुमार पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. दशरथ पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री दशरथ जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
9. शादरा पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री कुलदीप खुडिया व वकील प्रतिवादीगण श्री चन्द्रशेखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 41/41 के खसरा न0 315/107 की 4.5900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 भूमि में वादी स0 1 नरेन्द्र कुमार, वादी स0 2 रामनिवास बराबर हिस्सा व शेष 1/2 भूमि में वादी स0 3 मुकेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह डिक्री आज दिनांक [illegible] को [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर, नोहर

Scanned with CamScanner